न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 90 / 2006

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 अध्यक्ष श्री टोडरमल स्मारक किरोड़ी जरिये अध्यक्ष नत्थुसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत निवासी चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 मन्दिर श्री गंगाजी वाके किरोड़ी जरिये पुजारी हरिश कुमार पुत्र नाथुदास स्वामी किरोड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
2 गणेश कुमार पुत्र नत्थूदास स्वामी निवासी किरोड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक
03.05.2006 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ मुकदमा नम्बर 168 / 1998

उपस्थित

1. श्री भगवान सिंह अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री जितेन्द्र वैष्णव अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

दिनांकः– 13-3-19

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा वाद संख्या 168/1998 में पारित निर्णय व डिकी दिनांक 03.05.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेंट ने विचारण न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण सगे भाई है व ग्राम किरोडी के स्थाई निवासी है वादीगण मंदिर श्री गंगाजी वाके किरोडी के पुजारी है व मंदिर गंगाजी की सेवा पूजा व व्यवस्था वादीगण करते है। भूमि खसरा नम्बर 20 रकबा 12 बिस्वा ग्राम किरोडी की तन में स्थित है उपरोक्त जमीन मंदिर श्री गंगाजी की खातेदारी की है। नक्ल जमाबंदी संवत 2017 से 2020 दावे के साथ प्रस्तुत है। उपरोक्त भूमि में नये खसरा नम्बर 17 रकबा 0.15 बाग गत सैटलमेन्ट विनागवालो ने हाले है उपरोक्त भूमि बगीची की जमीन है हजसमें आवले, जामुन, खजूर, गुंदी के पेड खडे है जिनकी साल संभाल है वादीगण ही पीढ़ियों से करते आ रहे है और वादीगण ही इन पेड़ो के फल आदि की लाट बाट करते है। संवत 2025 से 2029 व संवत 2028 से 2032 की जमाबंदी में इस जमीन को बगीचे के रूप में बस गया है नक्ल जमाबंदी सवंत 2025 से 2032 दावे के साथ प्रस्तुत है। भूमि खसरा नम्बर 18 रकबा 0.15 हैक्टेयर के पुराने खसरा नम्बर 20 रकबा 12 बिस्वा के गत सेटलमेन्ट विभाग वालो ने नये खसरा नम्बर 17 रकबा 0.15 हैक्टेयर डाले है परन्तु सैटलमेन्ट विभाग वालो ने मनमाने रूप से उपरोक्त मंदिर के बाग की मजीन को श्री टोडरमल स्मारक के नाम से गलत रूप से मनमाने रूप से दर्ज कर दिया है। नक्ल जमाबंदी संवत 2044 व 2045 से 2048 तथा नक्ल मिलान क्षेत्रफल दावे के साथ प्रस्तुत है। सैटलमेन्ट विभाग को मंदिर की भूमि प्रतिवादी के नाम दर्ज करने का कोई अधिकार नही है नई जमाबंदी गत सेटलमेन्ट के आधार पर बनानी चाहिये थी इस बाबत राजस्व मण्डल अजमेर के यहा से स्पष्ट रूप से सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि

सैटलमेन्ट विभाग को पुराने राजस्व के अनुसार ही नये राजस्व रिकार्ड बनाना चाहिये। यदि किसी भूमि बाबत सक्षम राजस्व न्यायालय ने परिवर्तन करने का कोई निर्णय दिया हो तब ही पुराने राजस्व रिकार्ड के नामांकन में तबदोली की जा सकती है। अन्यथा नही। सैटलमेन्ट विभाग ने सिद्वान्त की अवहेलना करते हुए मनमाने रूप से राजस्व रिकार्ड में श्री टोडरमल स्मारक का नाम उपरोक्त भूमि में मनमाने रूप से गलत दर्ज किया है। जिनका उनको कोई अधिकार नही है। इसलिये यह दावा पेश करना आपश्यक हुआ है। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी का जवाब प्राप्त कर तनकी कायम कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिकी किया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। वरवक्त बहस वकील अपीलांट ने अपील मेमों को ही बहस मानने का निवेदन किया एवं अपील स्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने विचारण न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत ठहराते हुये अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से विवादित भूमि मंदिर के नाम दर्ज होना प्रमाणित है भू–प्रबन्ध विभाग को मन्दिर मूर्ति का इन्द्राज हटाकर अन्य के नाम रिकार्ड दर्ज करने का अधिकार नही था विचारण न्यायालय ने विस्तृत विवेचन कर वाद वादी डिकी किया है। इसमें हमे कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है अपितु विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है फलस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13-7-19 को सरे इजलास सुनाया गया।

13/7/19

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर